(नियम 15)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

श्रीमती मुन्नीदेवी बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा दावा नं. 56/18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
7/6/18	दावा वादीया दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 19/6/18 को पेश हो।	
19/6/18	आज यह पत्रावली रासब पेश अदालत हुई। आज आपके द्वारा कोम्प्रोमाइज पेश हुआ पढ़कर सुनाया गया, जिसमें यह बताया गया कि एक मध्यस्थ व वादिया का रिश्ता रिवाजी आपसी के अलावा अन्य वस्तु नगदान के भी है। वादिया द्वारा दावा केवल 01 वस्तु नगद का पेश किया है। नियम के तहत बटवारे के लिए सभी वस्तु नगदी को शामिल करते हुए दावा पेश करना चाहिये था जब कि केवल एक नगद का दावा बटवारे का करना विधिक नहीं है। इस प्रकार दावा परिपूर्ण नहीं होने के कारण डिक्री एक पक्षीय वादिया विरुद्ध जारी है। पत्रावली कोम्प्रोमाइज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018